वर्ष 2013–14 में 89 विद्यार्थियों एवं वर्ष 2014–15 में 85 विद्यार्थियों द्वारा दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में सिविल सेवा तथा अन्य अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है।

छात्रावास/आश्रम भवनों का निर्माण

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को छात्रावास/आश्रम की सुविधा दी जा रही है। वर्तमान में संचालित 1713 छात्रावास एवं आश्रम में से 332 संस्थाऐं भवन विहीन हैं।

वर्ष 2012–13 में इस मद से 17 निर्माणाधीन भवनों के कार्यो को रुपये 4001.81 लाख का व्यय कर पूर्ण किया गया। वर्ष 2013–14 में इस मद से 35 नवीन अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवनों के निर्माण में राशि रुपये 805.72 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2014–15 में इस मद से 70 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावासों के निर्माण तथा अपूर्ण निर्माण कार्यो को पूर्ण करने हेतु रुपये 2570.23 लाख का व्यय किया गया।

राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश पर व्यय की प्रतिपूर्ति

राज्य शासन द्वारा भारत शासन की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रावधानों के अतिरिक्त आई.आई.टी., आई.आई.एम, एन.आई.एफ.टी. जैसे राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को राज्य के वित्तीय स्त्रोतों से अनिवार्य शिक्षण शुल्क एवं निर्वाह भत्ते की राशि के अलावा संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष ली जाने वाली कम्प्यूटर फीस, पुस्तकालय फीस, होस्टल किराया, पुस्तकों एवं पाठ्य सामग्री शुल्क, छात्र कल्याण निधि शुल्क, मेडीक्लेम फीस एवं मेस के एक व्यक्ति के लिये वास्तविक व्यय की पूर्ण राशि संस्थान को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की है।

विदेशों में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु सहायता

योजना के अंतर्गत अब तक प्रतिवर्ष 10 अभ्यार्थियों के चयन का प्रावधान था। योजना प्रारंभ होने से अब तक 24 अभ्यर्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014–15 से संख्या 10 से बढ़ाकर 50 निर्धारित की गई है। साथ ही योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय सीमा 5.00 लाख से बढ़ाकर 6.00 लाख की गई है।

वर्ष 2012–13 में राशि रुपये 43.38 लाख का व्यय कर 07 अभ्यर्थियों को, वर्ष 2013–14 में राशि रुपये 112.18 लाख का व्यय कर 07 अभ्यर्थियों को तथा वर्ष 2014–15 में रुपये 160.46 लाख व्यय कर 9 अभ्यर्थियों को लाभांवित किया गया है। विदेश से शिक्षा प्राप्त कर 23 अभ्यार्थी वापस आ चुके हैं एवं 9 अभ्यर्थी अध्ययनरत हैं।

सैनिक एवं पब्लिक स्कूलों में अध्ययन हेतु सहायता

विभाग द्वारा सैनिक स्कूलों एवं पब्लिक स्कूलों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं हेतु शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस योजनान्तर्गत पात्रता हेतु पालकों की वार्षिक आय सीमा रुपये 1.50 लाख तक निर्धारित है।

वर्ष 2012–13 में रुपये 349.98 लाख व्यय कर 56 विद्यार्थियों को, वर्ष 2013–14 रुपये 456.31 लाख का व्यय किया जाकर 77 विद्यार्थियों को तथा वर्ष 2014–15 में रुपये 418.93 लाख का व्यय किया जाकर 231 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

दिल्ली में उच्च शिक्षा हेतु छात्रावासी सुविधा

अनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा हेतु दिल्ली स्थित विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, उन्हें आवासीय सुविधा एवं शिष्यवृत्ति हेतु प्रतिमाह राशि रुपये 1000, मासिक किराया, रुपये 500, शिष्यवृत्ति, रुपये 100, पानी एवं विद्युत व्यय रुपये 2000 एकमुश्त अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

वर्ष 2012–13 में रुपये 3.00 लाख का आवंटित कर 48 विद्यार्थियों को, वर्ष 2013–14 में रुपये 4.00 लाख राशि व्यय कर 28 विद्यार्थियों को तथा वर्ष 2014–15 में 61 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

संभागीय आवासीय विद्यालयों का संचालन

यह योजना प्रदेश के समस्त 10 संभागीय मुख्यालयों पर संचालित है। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को जिनके द्वारा 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक अर्जित किये गये हों, को विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक आवासीय विद्यालय की सीट क्षमता 280 (बालक 140 एवं बालिका 140) निर्धारित की गई है। विगत तीन वर्षों में 10 एवं 12वीं के आवासीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं का परीक्षाफल 90 से 97 प्रतिशत रहा है।

विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता

अनुसूचित जाति के ऐसे विधि स्नातक छात्रों को जो प्रथम बार विधि की डिग्री प्राप्त कर विधि व्यवसाय में प्रवेश करते हैं, को एक वर्ष के लिये पुस्तकों एवं अन्य प्रारंभिक खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिये प्रतिमाह रुपये 200 के मान से कुल रुपये 2400 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2012–13 में राशि 0.48 लाख रुपये व्यय कर 20 विधि स्नातकों को, वर्ष 2013–14 में रुपये 0.38 लाख की राशि व्यय कर 7 विधि स्नातकों को तथा वर्ष 2014–15 में योजनान्तर्गत रुपये 1.50 लाख का व्यय किया गया।

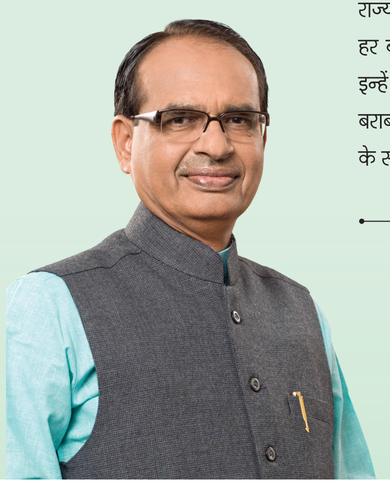

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चा शिक्षित हो। शिक्षा से इन्हें समाज में सम्मान, बराबरी का हक और तरक्की के समान अवसर प्राप्त होंगे।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश शासन

सबके साथ, सबका विकास

अनुसूचित जाति विकास

पढ़ने-लिखने का बेहतर परिवेश

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क का प्रकाशन

मध्यप्रदेश में हर तबके के युवाओं को पढ़ने–लिखने के भरपूर साधन और सुविधाओंयुक्त परिवेश मुहैया कराने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षा जीवन को सम्मानजनक बनाने का कारगर माध्यम है। प्रदेश सरकार की दृढ़ संकल्प है कि कोई भी बच्चा शिक्षा की बेहतर कोशिशों से वंचित न रहे।

प्री–मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रम

अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए विभाग द्वारा 1713 आश्रम/छात्रावास संचालित हैं जिसमें महाविद्यालयीन स्तर तक के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाती है। वर्ष 2014–15 के लिये माह अप्रैल 2014 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर माह जुलाई 2014 से शिष्यवृत्ति की राशि बालकों को रुपये 940 एवं बालिकाओं को रुपये 970 प्रतिमाह निर्धारित की गई है, जिससे विद्यार्थियों को भोजन व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। आवासीय संस्था में निःशुल्क शयन सामग्री व अन्य सुविधाऐं दी जा रही हैं।

पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में, केन्द्र प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तहत छात्रावासी दरों पर छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त आगमन भत्ता 3 वर्षों तक राज्य स्त्रोत से दिया जाता है। प्रथम वर्ष में रुपये 1500 द्वितीय वर्ष में रुपये 250 एवं तृतीय वर्ष में रुपये 250 प्रति छात्र दिया जाता है, इससे विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार सामग्री क्रय कर सकता है।

अनुसूचित जाति विकास द्वारा संचालित आवासीय संस्थाएं

क्रं.	संस्था का नाम	बालक		कन्या		योग	
1.	प्री मैट्रिक छात्रावास (अ.जा.) (उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों सहित)	संख्या	सीट	संख्या	सीट	संख्या	सीट
2.	संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालय हेतु 20 प्री मै छात्रावास	784	34970	586	28604	1370	63574
3.	प्रावीण्य उन्नयन योजना हेतु संचालित 8 प्री.मै. छात्रावास	10	1093	10	1092	20	2185
4.	आश्रम शाला	4	200	4	200	8	400
5.	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	59	2567	129	6051	188	8618
	योग	81	4150	46	2425	127	6575
		938	42980	775	38372	1713	81352

प्री मैट्रिक छात्रावास में पुस्तकालय योजना

प्रत्येक प्री मैट्रिक छात्रावास में पाठ्यक्रम से संबंधित एवं जीवन उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु पुस्तकालय योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में 1390 प्री मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत 65759 विद्यार्थियों को लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

प्रसाधन किट प्रदाय योजना

विभाग द्वारा संचालित समस्त अनुसूचित जाति छात्रावास/आश्रम शालाओं एवं संभागीय आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों में प्रतिवर्ष छात्र–छात्राओं को साफ–सफाई से रहने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य प्रसाधन किट में नेल कटर, सुई धागा, बटन, कंघा, आईना, तेल, ब्रश, पेस्ट, साबुन इत्यादि सामग्री प्रदान की जाती है।

राज्य छात्रवृत्ति

यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक बालक एवं बालिकाओं को निम्नानुसार दरों पर प्रदान की जाती है :–

कक्षा	बालक	बालिका
1 से 5 तक	–	150/– (10 माह के लिये)
6 से 8 तक	200/–(10 माह के लिये)	600/– (10 माह के लिये)
9 से 10 तक	600/–(10 माह के लिये)	1200/– (10 माह के लिये)

वित्तीय वर्ष 2012–13 में रुपये 6473.44 लाख की राशि व्यय की जाकर 2887340 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2013–14 में रुपये 4999.99 लाख तथा वर्ष 2014–15 में रुपये 6250.00 लाख की राशि छात्रवृत्ति वितरण हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई गई।

राज्य स्त्रोतों से अन्य सुविधायें

1. कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्र/छात्राओं को जो कि प्री मैट्रिक छात्रावास में रहते हैं उन्हें भारत शासन की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत दिये जा रहे मेन्टेनेस भत्ते रुपये 380 प्रतिमाह के अलावा अन्तर की राशि के साथ रुपये 750 छात्राओं के लिये तथा रूपये 725 की राशि छात्रों को प्रतिमाह दी जाती है।
2. भारत शासन की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रावासी विद्यार्थी को दिये जा रहे निर्वाह भत्ते रुपये 1200 प्रतिमाह को बढ़ाकर रुपये 1500 प्रतिमाह किया गया है।
3. आई.आई.टी./आई.आई.एम जैसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं को भारत शासन की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अतिरिक्त उनके अध्ययन पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय का भार राज्य शासन उठायेगा।
4. भारत सरकार से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु वार्षिक आय सीमा रुपये 2.50 लाख निर्धारित है। रुपये 2.50 लाख से रुपये 3.00 लाख तक की आय सीमा के विद्यार्थियों को राज्य शासन अपने बजट से आधी फीस की प्रतिपूर्ति कर रहा है।

उत्कृष्ट छात्रावासों का संचालन

अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र–छात्राओं के गुणवत्ता पूर्ण शैक्षणिक विकास करने की दृष्टि से विभाग द्वारा राज्य के 28 अनुसूचित जाति बहुल जिलों के मुख्यालयों पर (एक बालक एवं एक बालिका) कुल 56 जिला स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावास संचालित हैं। इसके अलावा 37 जिलों के विकास खण्ड मुख्यालयों में बालक–बालिका वर्ग के 281 विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावास संचालित हैं। उत्कृष्ट शिक्षण की दृष्टि से अंग्रेजी, विज्ञान व गणित विषयों में कोचिंग प्रदान की जाती है। उत्कृष्ट छात्रावासों में रह कर पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं को राशि रुपये 2000 प्रति विद्यार्थी के मान से प्रति वर्ष स्टेशनरी तथा अन्य शिक्षण सामग्री क्रय करने हेतु प्रदाय की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में राशि रुपये 942.94 लाख व्यय की जाकर 17500 छात्र–छात्राओं को वर्ष 2013–14 में रुपये 888.96 लाख व्यय कर 17550 छात्र–छात्राओं को तथा वर्ष 2014–15 में रुपये 921.94 लाख का व्यय कर 16850 छात्र छात्राओं को लाभांवित किया गया है।

परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति

अनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थी जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है।

वर्ष 2013–14 में रुपये 225.00 लाख व्यय की जाकर 41745 विद्यार्थियों तथा वर्ष 2014–15 में रुपये 227.04 लाख का व्यय कर 23532 छात्र छात्राओं को लाभांवित किया गया।

संस्थाओं को अनुदान

अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक विकास से सम्बन्धित गतिविधियां चलाने वाली 35 अशासकीय संस्थाओं की 99 प्रवृत्तियों को राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष अनुदान दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में राशि रुपये 1161.97 लाख का व्यय किया जाकर लगभग 3800 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। योजनान्तर्गत आवासीय संस्था में तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा संस्थाओं के संचालन हेतु अनुदान दिया गया है। वर्ष 2014–15 में रुपये 821.34 लाख का व्यय हुआ।

आवास सहायता योजना

आवास सहायता योजना के तहत भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन नगरों में 2000 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह, जिला मुख्यालयों पर रुपये 1250 प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह, तहसील/विकास खण्ड मुख्यालयों पर रुपये 1000 प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह आवास सहायता का प्रावधान है।

वर्ष 2013–14 में योजनान्तर्गत रुपये 589.30 लाख व्यय कर 7504 विद्यार्थियों को तथा वर्ष 2014–15 में रुपये 616.19 लाख व्यय कर 8652 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

11वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल प्रदाय योजना

योजना वर्ष 2013–14 से प्रभावशील। ऐसी छात्रायें जिन्हें कक्षा 9 में साइकिल प्राप्त न हुई हों तथा कक्षा 11 में अध्ययनरत हो उन्हें निवास से विद्यालय आने जाने के लिये संस्था उपलब्ध न होने से साइकिल कय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रतिष्ठित संस्थानों में कोचिंग की योजना

योजना वर्ष 2013–14 से प्रारंभ की गई है। योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु अनुसूचित जाति के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को दिल्ली तथा अन्य महानगरों में संचालित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में कोचिंग दिलाना है।

योजना में रुपये 5.00 लाख तक की आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। कुल 2,45,000 की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थियों को कोचिंग दिलाने का लक्ष्य निर्धारित है।